दिनांक 11/04/2022

भा.रा.उ.स.सं./चण्डीगढ़/व्यवसाय/2022-23

निविदा सूचना

शाखा कार्यालय द्वारा मात्रा 639.500 MT गेहूँ की आपूर्ति खाद्य विभाग, चण्डीगढ़ को करने बाबत समक्ष इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं /फर्मो से दरें/ प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिए नियम व शर्तें निम्नवत रहेंगी।

1 - गेहूं की दरें एफ.ओ.आर. (खाद्य विभाग चण्डीगढ़ के अनलोडिंग गौदाम तक) होनी चाहिए।

2- गेहूँ की आपूर्ति 50 किलो की पैकिंग में करना होगा।

3 -क्रयादेश प्राप्ति के उपरान्त 15 दिन के भीतर गेहूँ कि आपूर्ति करनी होगी ।

4 -आपूर्ति किये जाने वाला गेहूँ गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए जोकि मानव उपभोग के लिए उपयुक्त / उत्तम हो । (Fit for human consumption)

5 –एन.सी.सी.एफ / खाद्य विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा गेहूँ की गुणवत्ता मानक अनुरूप होने की पुष्टि करने के पश्चात ही सम्बंधित फर्म द्वारा खाद्य विभाग को गेहूं की आपूर्ति की जाएगी।

6 -फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले गेहूँ की गुण्वत्ता का एन.सी.सी.एफ / खाद्य विभाग के अधिकृत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा भौतिक सत्यापन / पुष्टि करने का स्थान/ क्षेत्र चण्डीगढ़ अथवा उसके आस-पास का रहेगा।

7 -आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा धरोहर राशि हेतु डी.डी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से रु० 100,000.00 (एक लाख मात्र) प्रबंध निदेशक, एन.सी.सी.एफ, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा।

8 -गेहुँ की आपूर्ति के उपरान्त खाद्य विभाग से भुगतान प्राप्ति होने के पश्चात एन.सी.सी.एफ द्वारा फर्म को भुगतान देय होगा।

9 - एन.सी.सी.एफ / खाद्य विभाग द्वारा गेहूँ की आपूर्ति हेतु निर्धारित अन्य समस्त शर्ते आपूर्तिकर्ता/फर्म को मान्य होंगी।

संस्था के माध्यम से उपरोक्त गेहूँ की आपूर्ति खाद्य विभाग , चण्डीगढ़ को करने के इच्छुक आपूर्तिकर्ता / फर्मे अपनी न्यूनतम दरें /प्रस्ताव शाखा कार्यालय,चण्डीगढ़ में दिनांक **22.04.2022 को साएं 4.00** बजे तक जमा करा सकती है। प्राप्त किसी भी दर / प्रस्ताव को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

भवदीय

कृते –भा.रा.उ.स.संघ मर्यादित

(फर्रुख जमील किदवाई)

शाखा प्रबंधक